क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्या:–
Ref.No.: G000345/OA No-862/2023

दिनांक:–
Date: 27/04/2023

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Subject: **Submission of Action Taken Report in addition to the joint report of joint committee in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 25.11.2022 in O.A. No. 862/2022 Pankaj Kumar Mishra Vs. Union of India & Ors.**

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.11.2022 in the matter of O.A. No. 862/2022 Pankaj Kumar Mishra Vs. Union of India & Ors., the Action Taken Report in addition to the joint report of joint committee constituted by Hon'ble NGT is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid Action Taken Report in addition to the joint report of Joint Committee may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

27/04/2023
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:- Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.

Regional Officer
Sonbhadra.

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

Action Taken Report in reference to Hon'ble NGT order in the matter of O.A. No. 862/2022 Pankaj Kumar Mishra Vs. Union of India & Ors. dated 25.11.2022.

Hon'ble NGT vide its Order dated **25.11.2022** in the matter of Original Application No. **862/2022** Pankaj Kumar Mishra versus Union of India 203/2021 Devidas Khatri versus Union Of India &Ors, instructed the following:-

"... 2. This original application has been filed under Sections 14, 15, 17 and 18(1) of National Green Tribunal Act, 2010 (herein after referred to as 'NGT Act, 2010') raising a grievance that transportation of fly ash by various thermal power stations located at Singrauli and Sonebhadra region are causing huge air pollution on the roads and local residential areas and the authorities responsible for monitoring and supervising such transportation are not acting in accordance with provisions of law and 2013 and 2019 Guidelines laid down in this regard by Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'CPCB').

3. In our view, matter requires consideration as it involves a substantial question relating to environment arising from implementation of the enactments specified in Schedule I of NGT Act, 2010. However, before proceeding further, we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a joint Committee comprising MoEF&CC, CPCB and State PCB who shall submit a factual report within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. The report shall highlight on the compliance with the aforesaid provisions relating to transportation of fly ash in accordance with Singrauli and Sonebhadra action plan to maintain environmental quality of this critically polluted area....."

1. That in compliance of Hon'ble NGT directives, the committee has conducted virtual meeting with applicant on 16.02.2023 to understand his grievances as well as to discuss the instructions of Hon'ble NGT and the methodology that needs to be adopted for its compliance. The major concern highlighted by the applicant is about air pollution due to road transportation of coal and fly ash.

2. Thereafter, site inspections of the area were conducted by the committee during 21.02.2023 – 22.02.2023. During the site visit the committee interacted with the representatives from Coal Mines (NCL) and Thermal Power Plants (TPPs) located in the U.P. side of Singrauali area to understand the current practices adopted by them and the difficulties (if any) faced by them in complying to the Norms & guidelines concerned with the matter.

Contd...p/2.

In above matter, the committee has submitted report on 01.04.2023. The main point mentioned in that report on 12.7 is reproduced as below:-

"12.7 Continuous Coal fire has also been observed in number of places in NCL mines. The extent of coal fire was high in coal reject stored in NCL Bina and coal stored near Krishnshila Rilway siding."

With reference to the above observation, recommendations of Committee were as below :-

"22.24UP PCB should take immediate action against the NCL mining projects wherein in coal fire incidents are observed."

In above matter U.P. Pollution Control Board has already imposed Environmental Compensation of Rs. 44340000.00 against NCL-Bina, Distt. Sonbhadra vide letter No.H 91134/C-2/NGT-62/O.A. No. 817/2023 dated 25.03.2023 for pollution due to Coal fire incident. The letter of UP PCB dated 25.03.2023 is attached herewith as Annexure-I.

Another observation found by Committee during visit as mentioned in report at point 13.10 is as follows:-

13.10 The committee visited the ask dyke area of M/s Obra TPP during the visit.

13.10.1 A dust storm was observed by the CPCB team from the ash dyke, which resulted into the zero visibility in the area. The TPP unit has not taken any serious efforts to control dust emission from the ash dyke and most of the surface area was dry, which is the main reason for such dust storm.

13.10.2 The ash is spread on the area located along the river bank near the ash dykes of the unit. It is informed that the said ash is deposited due to the discharge of ash slurry in past. On the day of visit, work for covering the said spread ash by soil was in progress. The unit was excavating the soil from the nearby area which falls in the area.

13.10.3 M/s Obra TPP is discharging huge amount of ash slurry into the river Renu through Jharia Drain. The same status is being observed from last several years. The Google Earth satellite images also suggests that they are directly discharging the ash slurry into the river since last one decade.

In the light of observations, U.P. Pollution Control Board has impsoed Environmental Compensation of Rs.14370000.00 against Obra Thermal Power Project (Unit A & B) vide Letter No. H.90955/C-2/Water-79/23 dated 22.03.2023. Copy of letter dated 22.03.2023 is attached as Annexure-II.

Contd...p/3.

Another observations found by Committee regarding dust emission generated from operation of Stone Crushers near Dalla area mentioned at point 15.0 is as follows:-

15. As per the information 313 valid Stone Crusher approved by Oversight Committee are operational near the Dalla area.

15.1. Stone crushers have installed dust containment measures but these are not adequate, as substantial dust is emitted into the environment during operation.

15.2. Water sprinkling arrangements for dust suppression are also not satisfactory. Fine stone dust which is of little commercial values is dumped inside premises as well as along roads.

15.3. Movement of trucks for carrying raw material and products on inner roads is also a significant source of air pollution in the clusters of stone crushers.

15.4. Huge airborne dust is observed by the committee in the area. The concentration was to such extent that it was affected the visibility. Similarly, the dust layers were seen deposited on leaves, houses, and other structures.

In above matter, it is submitted that UPPCB official regularly visit Stone Crushers operational in Dalla area from time to time. Ambient Air Monitoring near Dalla area has been done by UPPCB on dated 17.01.2022. The Analysis report is attached herewith as **Annexure-III**. On the basis of analysis report it was found that the particulate matter PM_{10} in Ambient Air near Dalla area was found 290.9 Nm^3 , which is more than the prescribed standard 100 Nm^3 . This was mainly due to heavy movement of loaded trucks as well as operation of Stone Crushers operating there in cluster. Actions are taken from time to time against the defaulting stone crushers. The closure order against 07 Defaulting Stone Crusher under section 31 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) has been issued by UPPCB. The details are attached herewith as **Annexure-IV.** Besides above the stone crushers are also directed not to operate stone crushers from 5 P.M. to 10 P.M. daily.

The above, Action Taken Report is being filed herewith in addition to the Joint report for kind consideration of Hon'ble NGT.

21/04/2023

(U.K. GUPTA)
Asst. Environmental Engineer
U.P. Pollution Control Board
Sonbhadra

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H91134/C-2/NGT-62/OA No-817/2023 दिनांक Date 25-3-23

पंजीकृत

सेवा में,
मैसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लि0,
बीना परियोजना, बीना,
सोनभद्र।

विषय– नार्दन कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–817/2022 Sandal Parveen V/s. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के अनुपालन में जिला प्रशासन, सोनभद्र के नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के नामित प्रतिनिधि एवं राज्य बोर्ड के नामित अधिकारियों द्वारा Factual Report, बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 25.03.2023 को प्रेषित आख्यानुसार प्रश्नगत शिकायती प्रकरण के अन्तर्गत कृष्णशिला रेलवे साइडिंग बीना, सोनभद्र पर बिना अनुमति के कोयला भण्डारित पाया गया। ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक–4236/खनिज लि0/2022–23 दिनांक 03.03.2023 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत स्थल पर भण्डारित कोयले की मात्रा लगभग 1,29,236.85 मीट्रिक टन है। उक्त प्रश्नगत शिकायती स्थल मेसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र के अन्तर्गत आच्छादित हैं। उक्त शिकायती प्रकरण में समिति द्वारा प्रेषित आख्यानुसार शिकायती स्थल पर अत्यधिक मात्रा में भण्डारित कोयले के दहन के फलस्वरूप जनित गैसीय उत्सर्जन से परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्नगत शिकायती स्थल के निकट परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09.12.2022 को कराया गया था। परिवेशीय वायु की अनुश्रवण आख्यानुसार परिवेशीय वायु के नमूनें में वायु प्रदूषणकारी अवयवों (पी0एम010) की मात्रा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। समिति द्वारा प्रेषित आख्यानुसार गूगल सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत शिकायती स्थल पर वर्ष 2017 तक कोल डम्प नहीं पाया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2018 में भण्डारित कोल के Patches प्रकाश में आये, जिनके आकार में लगातार वर्ष 2020 तक वृद्धि हो रही थी एवं वर्तमान में अत्यधिक मात्रा नें कोयला भण्डारित है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि मेसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र द्वारा बिना कवर्ड वाहनों से कोल परिवहन कराया जा रहा था, जो कि उद्योग को निर्गत सहमति आदेश में आरोपित शर्तो का उल्लंघन करना दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018 से दिनांक 09.12.2022 तक अर्थात् कुल 1478 (प्रति वर्ष 300 कार्य दिवस के आधार पर) दिनों की उल्लंघन अवधि अर्थात् कुल 1478 दिनों हेतु मेसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रूपये 30,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 4,43,40,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा आंकलित की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लि0, बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र पर कुल रू0 4,43,40,000/- (रूपये चार करोड़ तेतालीस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

......2/–

प्रतिलिपि :—

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समयसीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू—राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

/

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2)

Annexure No. 3 826

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 90955 / सी-2/जल-79/23

दिनॉक / Date 22-3-23

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यूनिट–अ एवं यूनिट–ब),
ओबरा,
सोनभद्र (उ0प्र0)।

विषय– मैसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यूनिट–अ एवं यूनिट–ब), ओबरा, सोनभद्र (उ0प्र0) द्वारा ऐशयुक्त औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण रेनु नदी में किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मेसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यूनिट–अ एवं यूनिट–ब), ओबरा, सोनभद्र (उ0प्र0) द्वारा ऐशयुक्त उत्प्रवाह रेनु नदी में निस्तारित किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 17.11.2022 द्वारा दिनांक 01.11.2021 से दिनांक 16.11.2021 तक की उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 28.12.2022 को किये गये निरीक्षण के दौरान 01 अदद् ऐश पाण्ड में ऐश स्लरीयुक्त उत्प्रवाह एकत्र किया जा रहा था तथा ऐश पाण्ड–02 में उच्चीकरण का कार्य प्रकियाधीन पाया गया। निरीक्षण दिनांक 28.12.2022 के समय उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि विधुत उत्पादन प्रकिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऐश स्लरीयुक्त उत्प्रवाह की क्षमता 2000 घनमी0/घंटा है। निरीक्षण के समय डब्लूआर0एस0 के इण्टरमीडियेट पाईप हाउस में 150 घन मी0/घंटा क्षमता के 02 री–सर्कुलेशन पम्प एवं 550 घन मी0/घंटा क्षमता का एक री–सर्कुलेशन पम्प स्थापित पाया गया। इस प्रकार पम्प हाउस में री–सर्कुलेशन पम्प की कुल क्षमता 850 घन मी0/घंटा सूचित है, जोकि डिकन्टेसन वेल में 2000 घन मी0/घंटा की दर से प्राप्त ऐश स्लरीयुक्त उत्प्रवाह के सापेक्ष दक्ष नहीं प्रतीत होता है।

उद्योग के पत्र दिनांक 11.01.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि ए0डब्लू0आर0एस0 पम्प हाउस की क्षमता 1220 घन मी0/घंटा है तथा पम्प हाउस की क्षमता में 1100 घन मी0/घंटा की वृद्धि अलगे 3 से 4 माह में प्रस्तावित है। पांच इकाई से जनित अधिकतम ऐश स्लरी 1300 घन मी0/घंटा निस्तारित की जाती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा मेसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यूनिट–अ एवं यूनिट–ब), ओबरा, सोनभद्र (उ0प्र0) का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 को किया गया। आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान मात्र 1.62 प्रतिशत फ्लाईऐश का यूटिलाइजेशन किया गया है। थर्मल पावर प्लाण्ट द्वारा ऐश स्लरी की बहुत अधिक मात्रा को झरिया ड्रेन के माध्यम से रेनू नदी में निरंतर निस्तारित किया जा रहा है। उद्योग द्वारा ऐश स्लरी के डिस्चार्ज को रेनू नदी में जाने से रोकने हेतु नवम्बर 2020 से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐश डाइक से ऐश स्लरी के रेनू नदी में बहुत अधिक मात्रा में निस्तारित होने के कारण नदी की सतह पर फ्लाई ऐश जमा पायी गयी। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में फ्लाईऐश के रिमूवल एवं रिस्टोरेशन हेतु संस्तुतियां की गयी है। परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 04.03.2023 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उपरोक्त तापीय परियोजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–22.02.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय रेनु नदी में झरिया नाले के माध्यम से ऐशयुक्त उत्प्रवाह निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके कारण रेनू नदी की जलगुणता कुप्रभावित हो रही है।

इस प्रकार उद्योग द्वारा दिनांक–01.11.2021 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 22.02.2023 तक अर्थात् कुल 479 दिनों तक की अवधि में निरन्तर ऐशयुक्त उत्प्रवाह रेनु नदी में निस्तारित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 479 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1,43,70,000/- आंकलित है।

......2/–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यूनिट–अ एवं यूनिट–ब), ओबरा, सोनभद्र (उ0प्र0) पर कुल रू0 1,43,70,000/- (रूपये एक करोड़ तेतालिस लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समयसीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

पत्रांक:-G.OD/201/O.A.164/2018/2022 दिनांक: 17/01/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय:– बारी–डाला, ओबरा, बिल्ली–मारकुण्डी आदि क्षेत्रों में स्थापित स्टोन क्रशर्स से जनित प्रकिया उत्सर्जन के कारण परिवेशीय वायु गुणता के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–164/2018 अश्विनी कुमार दूबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा दूरभाष के माध्यम से **बारी–डाला, ओबरा, बिल्ली–मारकुण्डी आदि क्षेत्रों में स्थापित स्टोन क्रशरों** से जनित प्रकिया उत्जर्सन का परिवेशीय वायु गुणता पर पड़ने वालें प्रभावों का अनुश्रवण कर अनुश्रण आख्या दिनांक–18.01.2022 को प्रेषित करने के निर्देश के अनुपालन में तत्सम्बन्धी अनुश्रवण डाला कस्बे में स्थित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी–डाला, थाना–चोपन, जनपद–सोनभद्र के परिसर में किया गया। **संलग्न अनुश्रवण** आख्यानुसार परिसर मे **PM_{10}** की मात्रा **290.9 $\mu g/Nm^3$** पायी गयी है, जो आठ घण्टे के अनुश्रवण हेतु स्थापित मानक **(100 $\mu g/Nm^3$)** से अधिक है। उक्त अनुश्रवण में डाला क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रशरों से जनित प्रकिया उत्सर्जन वाराणसी–शक्तिनगर राज्य मार्ग–5ए पर चलने वाले भारी वाहनों से जनित उत्सर्जन का समेकित प्रभाव इंगित करता है। स्टोन क्रशर से जनित उत्सर्जन एवं भारी वाहनों से जनित उत्सर्जन का पृथक–पृथक आंकलन करने के पश्चात ही स्टोन क्रशरों से जनित उत्सर्जन से परिवेशीय वायु गुणता पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन करना संभव होगा। उक्त हेतु एपार्समेन्ट स्टडी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि दिनांक–17.01.2022 को कृत परिवेशीय वायु गुणता आख्या पर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

17/01/2022
(डा0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:–श्री प्रदीप मिश्रा–अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

17/01/2022
क्षेत्रीय अधिकारी

Phone : 05444-222464

REGIONAL OFFICE CUM LABORATORY
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

H. No. 162 Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216.

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING REPORT

Location of sampling point	:	Ambient Air Quality Monitoring at Hanuman Bhairo Mandir in the campus of Police Outpost Dalla of Police Station Chopan, Dalla, Sonbhadra-24.452814, 83.044949
Sample collected by	:	Shubham Singh (J.R.F), Abhay Singh (C.O)
Date of monitoring	:	17.01.2022
Main sources of air pollution	:	Stone Crushers as well as Heavy Vehicular Tranport on SH-5 (Varansi-Shaktinagar)

OBSERVATIONS:

Weather condition Wind direction		**Clear & Foggy** **North to South**	
Average relative humidity (%)		**85**	
Average ambient temperature (°C)		**14**	
Time of sampling started (hrs.)		**14.00**	
Time of sampling completed (hrs.)		**22.00**	
Total sampling time (minutes)		**580.8**	
Average sampling rate for PM_{10} (m^3 /min)		**1.21**	
Total volume of air sampled (PM_{10})		**580.8**	
RESULTS			
Initial Weight of Filter Paper w_1(g)=		**3.1418**	
Final Weight of Filter Paper w_2(g)=		**3.3108**	
Weight of Dust on Filter Paper w(g)=w_2-w_1		**0.1690**	
Concentration of pollutant			
Particulate Matter (PM_{10}) µg/Nm^3		**290.9**	**Standard** **100 µg/Nm^3**

Analysed by :

17/01/2022
Regional Officer,

17/1/2022
(Abhay Singh)
C.O.

Shubham Singh
17/01/22
(Shubham Singh)
J.R.F.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. 17526 / सी-2/सा0-532/बन्दी आदेश/22

दिनांक / Date 9-5-22

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स भारत स्टोन करिंग कम्पनी,
बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि मैसर्स भारत स्टोन करिंग कम्पनी, बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन क्रशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 27.04.2022 के अनुसार उद्योग स्थल का निरीक्षण दिनांक 25.04.2022 को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की करिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक–03.07.2021 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 03.07.2021 द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश दिनांक 29.08.2020 को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 27.04.2022 द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स भारत स्टोन करिंग कम्पनी, बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, सोनभद्र को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0/Ref. No. 475260/सी-2/सा0-532/बन्दी आदेश/22

दिनांक/Date 9-5-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स बलिया इण्डस्ट्रीज,
बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट ओबरा, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि **मैसर्स बलिया इण्डस्ट्रीज, बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट ओबरा, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन क्रशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति **दिनांक 27.04.2022** के अनुसार उद्योग स्थल का **निरीक्षण दिनांक 25.04.2022** को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्कीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की क्रसिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक–18.11.2021 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 18.11.2021** द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश **दिनांक 11.01.2020** को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 27.04.2022** द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स बलिया इण्डस्ट्रीज, बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट ओबरा, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. **जिलाधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।**
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र ।**
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, **सोनभद्र** को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, **सोनभद्र** को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. **क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0/Ref. No. 475258 /सी-2/सोन-532/बन्दी आदेश/22 दिनॉक/Date 9-5-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शिव स्टोन सप्लायर्स,
बारी, डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि **मैसर्स शिव स्टोन सप्लायर्स, बारी डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति **दिनांक 27.04.2022** के अनुसार उद्योग स्थल का **निरीक्षण दिनांक 25.04.2022** को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्कीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की कसिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र **दिनांक–09.07.2021** द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 09.07.2021** द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश **दिनांक 02.05.2020** को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 27.04.2022** द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स शिव स्टोन सप्लायर्स, बारी डाला,** परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, **सोनभद्र** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, **सोनभद्र** को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, **सोनभद्र** को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : Info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

833

संदर्भ सं0/Ref. No. H752/2/सी-2/फा0-532/बन्दी आदेश/22 दिनांक/Date 9-5-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स वन्दना स्टोन,
ग्राम बिल्ली बारी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि **मैसर्स वन्दना स्टोन, ग्राम बिल्ली बारी, पोस्ट** डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति **दिनांक 27.04.2022** के अनुसार उद्योग स्थल का **निरीक्षण दिनांक 25.04.2022** को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्कीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की कसिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र **दिनांक–25.03.2022** द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 25.04.2022** द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश **दिनांक 11.10.2020** को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 27.04.2022** द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स वन्दना स्टोन, ग्राम बिल्ली बारी, पोस्ट** डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

<u>प्रतिलिपिः–</u> **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।**

1. जिलाधिकारी, **सोनभद्र** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, **सोनभद्र** को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, **सोनभद्र** को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 175263 /सी-2/सा0-532/बन्दी आदेश/22 दिनांक / Date 9-5-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स रघुवर स्टोन वर्क्स,
बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट ओबरा, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि **मैसर्स रघुवर स्टोन वर्क्स, बिल्ली मारकुण्डी, पोस्ट ओबरा, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति **दिनांक 27.04.2022** के अनुसार उद्योग स्थल का **निरीक्षण दिनांक 25.04.2022** को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्कीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की करसिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र **दिनांक–18.11.2021** द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 18.11.2021** द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश **दिनांक 26.06.2020** को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 27.04.2022** द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स रघुवर स्टोन वर्क्स, बिल्ली मारकुण्डी,** पोस्ट ओबरा, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, **सोनभद्र** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, **सोनभद्र** को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, **सोनभद्र** को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. 17526/ /सी-2/सा०-532/बन्दी आदेश/22 दिनांक / Date 9-5-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स मनीष स्टोन वर्क्स,
बिल्ली मारकुण्डी, बारी–डाला, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि **मैसर्स मनीष स्टोन वर्क्स, बिल्ली मारकुण्डी, बारी डाला, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति **दिनांक 27.04.2022** के अनुसार उद्योग स्थल का **निरीक्षण दिनांक 25.04.2022** को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्कीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की कसिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र **दिनांक–09.07.2021** द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 09.07.2021** द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश **दिनांक 30.10.2020** को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 27.04.2022** द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स मनीष स्टोन वर्क्स, बिल्ली मारकुण्डी, बारी डाला, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या० अधि० प्रभारी (वृत्त–2)

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, **सोनभद्र** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, **सोनभद्र** को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, **सोनभद्र** को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्या० अधि० प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No. 1752652/सी-4/सा0-532/बन्दी आदेश/22

दिनांक Date 9-5-22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स बन्टी स्टोन क्रसिंग कम्पनी,
बारी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा,
जनपद–सोनभद्र ।

यह कि **मैसर्स बन्टी स्टोन क्रसिंग कम्पनी, बारी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन क्रशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति **दिनांक 27.04.2022** के अनुसार उद्योग स्थल का **निरीक्षण दिनांक 25.04.2022** को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बोल्डर का प्रयोग कर स्टोन ग्रिट्स (विभिन्न साइज) का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग की स्टोन क्रशिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा जैसे प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्डरी जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्कीन्स (झरना), कन्वेयर बेल्ट्स तथा कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर पूर्ण रूप से कवर्ड नहीं पाये गये। उद्योग की क्रसिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में जल छिड़काव की व्यवस्था के अन्तर्गत वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा वाटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी। इस प्रकार उद्योग का संचालन समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन किये बिना किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र **दिनांक–03.07.2021** द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 03.07.2021** द्वारा अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सहमति आदेश **दिनांक 05.02.2018** को निलम्बित कर दिया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र **दिनांक 27.04.2022** द्वारा इकाई के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि **मैसर्स बन्टी स्टोन क्रसिंग कम्पनी, बारी, पोस्ट डाला, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत ।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, **सोनभद्र** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, **सोनभद्र** को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु ।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, **सोनभद्र** को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्या0 अधि0 प्रभारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com